अध्याय 2

रेलवे स्टेशनों, खानपान इकाइयों और कोचिंग डिपो पर अपशिष्ट प्रबंधन

लेखापरीक्षा उद्देश्य 1

क्या रेलवे स्टेशनों, खानपान इकाइयों और कोचिंग डिपो पर उत्पन्न अपशिष्ट का निर्धारण, प्रबंधन और निपटान लागू कानूनों और नियमों के अनुसार किया गया

स्टेशनों पर उत्पन्न भारी मात्रा में अपशिष्ट/कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए रेलवे प्राधिकारियों द्वारा इसके निर्धारण, पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण और निपटान के लिए निरंतर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। संविधि के अधीन निर्मित नियमों (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, जल अधिनियम, 1974), SPCB/CPCB और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा जारी निर्देशों, लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिशों के साथ-साथ रेलवे बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन इस संबंध में होना जरूरी है। लेखापरीक्षा में निर्धारण किए गए स्टेशनों, खानपान इकाइयों और कोचिंग डिपो में अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया में रेलवे की प्रभावकारिता और दक्षता के परिणाम आगामी पैराग्राफों में दिए गए हैं।

2.1 इएनएचएम विंग की स्थापना

लोक लेखा समिति (पीएसी)-चौदहवीं लोकसभा ने अपनी 83वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी (फरवरी, 2009) कि रेल मंत्रालय को समन्वयन प्रयासों को मजबूत करना चाहिए और साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन पर एक मजबूत नीति तैयार करने के लिए शीर्ष स्तर पर एक संस्थागत तंत्र बनाना चाहिए। तदनुसार, रेलवे बोर्ड में कार्यालय आदेश संख्या 28/2015 दिनांक 07.04.2015 द्वारा पर्यावरण एवं हाउसकीपिंग प्रबंधन (इएनएचएम) निदेशालय स्थापित किया गया। इसके बाद, रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे (अगस्त 2015) को जोनल कार्यालयों के साथ-साथ डिविजनों में इएनएचएम विंग स्थापित करने का निर्देश दिया।

रेलवे बोर्ड के परिपत्र (अगस्त 2015) में जोनल/मंडल स्तर पर इएनएचएम विंग के दायरे और गठन को निर्दिष्ट करते हुए पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों के समन्वय और निगरानी के लिए कहा गया था। जारी किए गए निर्देशों में क्षेत्रीय रेलवे में जी एम और सीएम इ और मंडलों में मण्डल रेल प्रबन्धक और सीनिएर डी एम इ के नियंत्रण में इएचएनएम विंग विंग द्वारा प्रमुख रेलवे स्टेशनों, कोचिंग ट्रेनों और कोचिंग डिपो के हाउसकीपिंग कार्यों का एकीकरण भी शामिल है।

इएनएचएम विंग को स्टेशनों और कोचिंग ट्रेनों की हाउसकीपिंग के लिए बजट का प्रबंधन करने की आवश्यकता थी जिसमें स्टेशनों, कोचों और रेलवे कॉलोनियों[6] की सफाई और स्वच्छता शामिल थी। हालांकि, रेल मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों (बजट प्रस्तावों में) का कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं किया गया था।

जोनल/डिवीज़न स्तर पर इएनएचएम विंगों के कार्यचालन के संबंध में रेलवे बोर्ड के आदेशों के कार्यान्वयन का निर्धारण करने के लिए सभी 17 जोन **(अनुलग्नक-1.4)** में 109 स्टेशनों का लेखापरीक्षा द्वारा यादृच्छिक रूप से चयन किया गया। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:-

i. रेलवे ने सभी जोनों में और लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किए गए 54 मंडलों में से 43 में इएनएचएम विंग स्थापित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं।

ii. समीक्षा अवधि के दौरान ग्यारह डिवीजनों[7] में इएनएचएम विंग की स्थापना नहीं की गई थी।

iii. 13 डिवीजनों[8] में अपशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए गए, जिसमें उन ग्यारह डिवीजनों, जहां विंग का गठन नहीं किया गया था और उ॰म॰रे॰ में दो अन्य डिवीजन जहां विंग का गठन किया गया था लेकिन अपशिष्ट के प्रबंधन की मॉनिटरिंग के कोई निर्देश रिकॉर्ड में नहीं पाए गए, को शामिल किया गया था।

iv. भारतीय रेल में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मुद्दों का स्वामित्व लेने वाला कोई एकल निकाय/एजेंसी नहीं है। पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों के लिए निगरानी और समन्वय कार्य करने के लिए इएनएचएम विंग का गठन किया गया था, जबकि पर्यावरण संबंधी कार्यों की योजना, मंजूरी और निष्पादन संबंधित विभाग जैसे वाणिज्यिक और इंजीनियरिंग द्वारा निपटाए जाने के लिए छोड़ दिया गया था।

रेल मंत्रालय ने कहा (मई 2022) कि जहां इएनएचएम विंग स्थापित नहीं किया गया है वहां यांत्रिक विभाग को इएनएचएम विंग से संबंधित कर्तव्यों का आवंटन किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यांत्रिक निदेशालय से समान स्तर के समर्पण

---

[6] रेलवे कॉलोनियां इस निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल नहीं की गई

[7] मरे- पुणे और सोलापुर, पूरे- सियालदाह और मालदा; पूसीरे- लुम्डिंग, रंगिया व कटिहार व उरे- अंबाला, दिल्ली, लखनऊ व मुरादाबाद

[8] मरे-पुणे और सोलापुर, पूरे- सियालदह और मालदा; उमरे- प्रयागराज और आगरा, पूसीरे- लुम्डिंग, रंगिया और कटिहार, उरे- दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद और अंबाला

की संभावना नहीं है क्योंकि पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों का समन्वय और निगरानी ही EnHM विंग की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य था।

2.1.1 बजट आवंटन और व्यय

स्टेशनों और कोचिंग ट्रेनों की हाउसकीपिंग के लिए बजट का प्रबंधन करने के लिए इएनएचएम विंग की आवश्यकता है। साफ-सफाई से जुड़े मुद्दों जैसे स्टेशन, कोच[9] और रेलवे कालोनी की साफ-सफाई पर होने वाले खर्च का रखरखाव रेलवे कर रहा है. बजट आवंटन और उसमें से किए गए व्यय को नीचे **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है:-

तालिका 2.1 - बजट आवंटन और व्यय विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आवंटन	वास्तविक व्यय	प्रतिशत उपयोग
2016-17	1751	1640	94
2017-18	2026	1874	92
2018-19	2281	2156	95
2019-20	2796	2721	97
2020-21	2081	1987	95

नोट:- इसमें कोच की सफाई, स्टेशन की सफाई और रेलवे कॉलोनियों की सफाई शामिल है। इस रिपोर्ट में कॉलोनियों की स्वच्छता शामिल नहीं की गई।

तथापि, पर्यावरण संबंधी कार्यों[10] की योजना, स्वीकृति एवं निष्पादन को संबंधित विभागों (वाणिज्यिक एवं अभियांत्रिकी) द्वारा निपटाए जाने के लिए छोड़ दिया गया था। पर्यावरण संबंधी कार्यों (ERW) के लिए निधियों का प्रावधान एक मद के रूप में या एकमुश्त आधार पर (कार्य की लागत के एक प्रतिशत के बराबर) किया गया था। अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कुछ मदों जैसे ईटीपी/एसटीपी/डब्ल्यूआरपी अपशिष्ट से खाद, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों आदि के प्रावधान को ERWs की निर्दिष्ट सूची में शामिल किया गया था। इन कार्यों का प्रबंधन जोन/मंडल/PUs के EnHM विंग द्वारा किया जाना है। इन कार्यों की प्रगति तथा प्रावधान की तुलना में निधियों के उपयोग का विवरण पैरा 4.5 में दिया गया है।

---

[9] *कोच की सफाई में ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग, स्वच्छ ट्रेन स्टेशन, यांत्रिक कोच की सफाई, कीट और कृंतक नियंत्रण और कोच की कोई अन्य गतिविधि शामिल है*

[10] *पर्यावरण से संबंधित कार्य जैसे जल संरक्षण, सीवेज और अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचा, जल कुशल जुड़नार और निर्माण और रखरखाव के दौरान वायु और जल प्रदूषण को कम करने के उपाय आदि।*

यह देखा गया है कि पर्यावरण और हाउसकीपिंग कचरे प्रबंधन के साथ एक विशाल क्षेत्र को कवर करता है। अपशिष्ट प्रबंधन के अलावा साफ सफाई, स्वच्छता की निगरानी के लिए पैरा 1.2 में उल्लिखित विभिन्न स्तरों पर EnHM विंग का गठन किया गया था। अपशिष्ट प्रबंधन कार्य को स्पष्ट भूमिका और जिम्मेदारी के साथ किसी लग प्राधिकरण को नहीं सौंपा गया था और साथ ही विशेष रूप से अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई सीमांकित निधि आवंटन नहीं किया गया। इसके अलावा, हालांकि बजट आवंटन का 90 प्रतिशत से अधिक 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान उपयोग किया गया है, विभिन्न प्रकार के कचरे के प्रबंधन में प्रगति उत्साहजनक नहीं है जैसा कि बाद के अध्यायों में बताया गया है।

2.2 जवाबदेह इकाइयों का गठन

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली ने OA संख्या 141/2014 में दिनांक 01.10.2018 के अपने आदेश में रेल मंत्रालय को तीन जवाबदेह इकाइयों की पहचान करने का निर्देश दिया। आदेश में यह निर्दिष्ट किया गया कि इस इकाई में प्रत्येक स्तर पर (जोनल रेलवे स्तर पर, डिवीज़न स्तर पर और साथ ही प्रत्येक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर) कम से कम तीन चिन्हित व्यक्ति शामिल होने चाहिएं ताकि ठोस अपशिष्ट निपटान, ठोस और प्लास्टिक अपशिष्ट आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों की मॉनिटरिंग और कार्यान्वयन किया जा सके। इन आदेशों के अनुपालन में रेल मंत्रालय ने सभी जोनल रेलवे को प्रत्येक स्तर[11] पर तीन जवाबदेह इकाइयों का गठन करने का निर्देश[12] दिया (05.12.2018)।

भारतीय रेल के 109 चयनित स्टेशनों के इस पहलू पर NGT के आदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा से पता चला कि अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मुद्दों की मॉनिटरिंग के लिए अपेक्षित जवाबदेह इकाई स्थापित नहीं की गयी। इसके अलावा, हालांकि जवाबदेह इकाइयों का गठन किया गया था तथापि इनका प्रतिनिधित्व सदस्यों की अपेक्षित संख्या द्वारा नहीं किया गया था और जवाबदेह इकाइयों द्वारा बैठकों/संयुक्त निरीक्षण का आयोजन बिल्कुल नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा अध्ययन में सामने आई स्थिति को नीचे **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है:-

---

[11] *(i) स्टेशन स्तर पर- स्टेशन निदेशक/स्टेशन प्रबंधक, वाणिज्यिक और अभियांत्रिकी विभाग प्रत्येक से एक पर्यवेक्षक।*
(ii) डिविजन स्तर पर- एडीआरएम, वाणिज्यिक एवं अभियांत्रिकी विभाग प्रत्येक से एक अधिकारी।
(iii) जोनल रेलवे स्तर पर- एजीएम, वाणिज्यिक, अभियांत्रिकी और सुरक्षा विभाग प्रत्येक से एक अधिकारी।

[12] *पत्र संख्या 2018/ईएनएचएम /01/02 दिनांकित 5.12.2018*

तालिका 2.1-क - जवाबदेह इकाइयों के गठन पर प्रास्थिति

विवरण	जोनल रेलवे स्तर	डिवीज़न स्तर	स्टेशन स्तर
स्थापित नहीं किए गए जवाबदेह इकाई	पूरे और दपरे	17	42
आवश्यकता से कम प्रतिनिधित्व वाले जवाबदेह इकाई	पूमरे, उपूरे और उपरे	सात[13]	13[14]
जवाबदेह इकाइयों द्वारा आयोजित नहीं की गई बैठकें ***(जैसा अनुलग्नक 2.1 में विवरण दिया गया है)***	सात जोन	23	71

NGT के महत्वपूर्ण आदेशों के अननुपालन से अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े प्रमुख मुद्दों की मॉनिटरिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जैसा कि बाद के पैराग्राफ में बताया गया है।

2.3 उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण और इसका उचित प्रबंधन

लोक लेखा समिति - (चौदहवीं लोकसभा) ने अपनी 83वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि भारतीय रेल को एक ऐसा तंत्र स्थापित करना चाहिए जिससे स्टेशनों पर उत्पन्न कचरे की प्रमात्रा का वास्तविक निर्धारण किया जा सके ताकि प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक अवसंरचना के साथ पर्याप्त संग्रहण, पृथक्करण और निपटान सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। रेल मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई टिप्पणी में बताया था (30.10.2009) कि कूड़ा निपटान कार्य के लिए उपयुक्त एजेंसी तय करने के लिए निविदा देने से पहले कचरे का प्रमात्रीकरण किया जा रहा था। लेखापरीक्षा में की गयी नमूना जांच से पता चली स्थिति मंत्रालय के दावे के विपरीत है जैसा कि नीचे **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है:-

तालिका 2.2 - अपशिष्ट उत्पादन की प्रमात्रा का निर्धारण और इसका पृथक्करण

विवरण	स्टेशन	कोचिंग डिपो
बिल्कुल नहीं किया गया निर्धारण	37	18
केवल कुछ वर्षों में किया गया निर्धारण	18	1
नहीं किया गया जैव निम्नीकरण/गैर-जैव निम्नीकरण के रूप में पृथक्करण	60	22
कुछ वर्षों में किए गए जैव-निम्नीकरण/ गैर-जैव-निम्नीकरण के रूप में पृथक्करण	17	1

स्रोत:- जोनल रेलवे के अभिलेखों से ली गई सूचना ***(अनुलग्नक 2.2)***

लेखापरीक्षा में पाया गया कि समीक्षा की अवधि के दौरान अपशिष्ट उत्पादन की प्रमात्रा का निर्धारण या तो बिल्कुल नहीं किया गया था या समीक्षा अवधि के दौरान

---

[13] *पूमरे-सोनपुर, उपूरे-लखनऊ; उपरे- अजमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर पमरे-जबलपुर;*

[14] *पूमरे- हाजीपुर, सोनपुर और मुज्जफरपुर; उपरे- अजमेर, बीकानेर, लालगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, जोधपुर एवं राय का बाग, दपूतरे- रायपुर एवं गोंदिया, दरे-मेलमारुवातुर।*

छिटपुट रूप से किया गया था। इसके अलावा, जैव-निम्नीकरण और गैर-जैव निम्नीकरण के रूप में कूडे का पृथक्करण या तो नहीं किया गया था या समीक्षा अवधि के दौरान कुछ वर्षों में किया गया था। नमूना जाँच किए गए 109 स्टेशनों पर अपशिष्ट को पृथक्करण करने की शर्त को संविदा में नहीं पाया गया।

रेल मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि कूड़ा निपटान संविदा के साथ-साथ कूड़ा उठाने की संविदा भी सभी ए1, ए, बी और सी श्रेणी के स्टेशनों पर उपलब्ध होनी चाहिए और वे संविदाएं हमेशा चालू रहनी चाहिएं और उनका समय पर नवीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारतीय रेल में सभी चयनित 109 स्टेशनों और 30 कोचिंग डिपो के रिकॉर्ड की समीक्षा से पता चला कि 23 स्टेशनों पर, कूड़ा निपटान संविदा के साथ-साथ कूड़ा उठाने की संविदा में निरंतरता का अभाव था (**अनुलग्नक 2.2**)। अनिरन्तरता की अवधि व्यापक रूप से भिन्न थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

- नौ स्टेशनों में एक से तीन महीने,
- 10 स्टेशनों में तीन से नौ महीने से अधिक
- 04 स्टेशनों में नौ से 20 महीने से अधिक

रेल मंत्रालय ने कहा (मई 2022) कि कचरे की मात्रा को ठीक से दर्ज किया गया है और क्यूबिक फीट आयाम में उल्लेख किया गया है क्योंकि क्यूबिक फीट में विशिष्ट मात्रा के ट्रॉलियों द्वारा निपटान किया जाता है। मंत्रालय ने आगे कहा कि कचरे को नगरपालिका/स्थानीय निकाय में निपटान के लिए ले जाने से पहले ठेकेदार द्वारा कचरे की मात्रा का भी आकलन किया जाता है। उत्तर सामान्य है और लेखापरीक्षा टिप्पणी के लिए विशिष्ट नहीं है क्योंकि तालिका 2.2 में उल्लिखित इकाइयों की लेखापरीक्षा करते समय ऐसी कोई व्यवस्था रिकॉर्ड में नहीं पाई गई थी।

2.4 स्टेशनों पर नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली ने रेल मंत्रालय को 36 स्टेशनों (720 प्रमुख स्टेशनों में से 5 प्रतिशत) पर अपशिष्ट प्रबंधन की उचित मॉनिटरिंग के लिए 24 चिन्हित सत्यापनीय संकेतकों[15] (**अनुलग्नक 2.3 में उल्लिखित**) के साथ एक कार्य योजना तैयार करने और लागू करने और इसके कार्यान्वयन में की गई प्रगति की आवधिक समीक्षा करने का निर्देश दिया (26 मार्च 2019)। बाद में इस योजना को अन्य सभी प्रमुख स्टेशनों के लिए चरणों में दोहराया जाना था।

---

[15] ***सत्यापनीय संकेतकों में जल एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा, आईएसओ प्रमाणन, कूड़ेदान का प्रावधान, कूड़ा उठाने की संविदा, पोस्टर का प्रावधान, ईटीपी/एसटीपी/डब्ल्यूआरपी की स्थापना, अपशिष्ट कंपोस्टिंग प्लांट की प्रावधान, सामग्री रिकवरी सुविधाएं, सफाई की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों का उपयोग, शहरी स्थानीय निकायों के साथ समन्वय शामिल थे ताकि अपशिष्ट की अनधिकृत डंपिंग को रोका जा सके।***

रेल्वे बोर्ड ने एनजीटी के आदेश के अनुपालन में सभी क्षेत्रीय रेलवे को 37 चिन्हित स्टेशनों[16] पर कार्य योजना के कार्यान्वयन पर प्रत्येक माह की 25 तारीख तक (अप्रैल 2019 से शुरू होने वाली) की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (17 अप्रैल 2019)। इसे रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 13.05.2019 द्वारा सत्यापन योग्य संकेतकों की विस्तृत सूची के साथ पुन: दोहराया गया था।

इसके अलावा, NGT ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया (04 दिसम्बर 2019) कि वह कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन और जल अधिनियम, वायु अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन दोनों के संदर्भ में प्रमुख रेलवे स्टेशनों के निष्पादन का मूल्यांकन करे। CPCB ने यह भी निर्देश दिया (02 जून 2020) कि सभी जोनों को अपशिष्ट जल उत्पादन को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिएं और साथ ही सीवेज और गैर-सीवेज अपशिष्ट जल की गुणवत्ता की अलग से पहचान करनी चाहिए और तदनुसार अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण संयंत्रों की योजना बनानी चाहिए।

एन जीटी ने 18 अगस्त 2020 से तीन महीने के भीतर शेष प्रमुख रेलवे स्टेशनों (कुल 720 में से) के संबंध में आवश्यक प्राधिकार प्राप्त करने का भी निर्देश दिया था। इसके बाद, रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र दिनांक 01 सितम्बर 2020 द्वारा जोनल रेलवे को निर्देश दिया कि वह एनजीटी ने के आदेशों का अनुपालन निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करे।

मंत्रालय द्वारा एनजीटी के आदेश के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए चयनित 109 स्टेशनों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई। समीक्षा से निम्नलिखित बिंदु सामने आये:-

i. कुछ स्टेशन एनजीटी ने के आदेशों का उल्लंघन करते हुए सीटीइ/सीएफओ के बिना कार्य कर रहे थे, जो उपयुक्त स्तरों पर मॉनिटरिंग की कमी को दर्शाता है।

ii. 59 स्टेशनों[17] ने 31 जुलाई 2021 तक सीटीइ प्राप्त करने के लिए संबंधित SPCB में भी आवेदन नहीं किया था।

---

[16] एनजीटी के निर्देशों के अनुसार 36 स्टेशनों का चयन और रेलवे अधिकारियों द्वारा पहचाने गए 01 अतिरिक्त स्टेशन (श्री माता वैष्णो देवी कटरा)

[17] 3 स्टेशन अर्थात् मेट्रो रेल कोलकाता-रवीन्द्र सदन, एस्प्लेनेड, दमदम के लिए अगस्त 2021 में आवेदन किया था।

iii. ग्यारह स्टेशनों[18] में, हालांकि सीटीइ के लिए आवेदन किया गया, लेकिन उक्त 31.07.2021[19] तक SPCB से प्रतिक्षित थे।

iv. 31.07.2021 तक 46 स्टेशनों[20] के संबंध में सीएफओ प्राप्त नहीं किया गया था और

v. 34 स्टेशनों के संबंध में एसपीसीबी की सलाह पर बिना सीटीइ आवेदन किए सीधे सीएफओ प्राप्त किया।

सीटीइ के संबंध में देरी को मुख्य रूप से विशिष्ट उपकरणों को प्रदान नहीं किए जाने या एसपीसीबी की विभिन्न आवश्यकताओं पर ध्यान देने और तकनीकी आधारों पर एसपीसीबी द्वारा आवेदनों को अस्वीकार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था **(अनुलग्नक-2.4)**।

रेल मंत्रालय ने कहा (मई 2022) कि 720 में से 577 स्टेशनों ने एनजीटी के आदेश के अनुपालन में सीएफओ प्राप्त किया है। उत्तर लेखापरीक्षा टिप्पणी के लिए विशिष्ट नहीं है। उन स्टेशनों का विवरण जहां एनजीटी के आदेश का अनुपालन लंबित है, उत्तर में नहीं दिया गया है।

2.5 एनजीटी के आदेश के अनुसार 37 चिन्हित प्रमुख स्टेशन पर सत्यापनीय संकेतकों सहित कार्य योजना

भारतीय रेल के सभी जोनो में 37 चिन्हित स्टेशनों पर 24 चिन्हित सत्यापनीय संकेतकों के साथ कार्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अभिलेखों की समीक्षा की गई और अधिकांश सत्यापनीय संकेतकों जैसे जल और ऊर्जा लेखापरीक्षा, आई एस ओ प्रमाणन, कूड़ेदान की व्यवस्था, कूड़ा उठाने की संविदा, पोस्टर आदि के संबंध में कार्यान्वयन की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई थी। तथापि, महत्वपूर्ण संकेतकों जैसे ईटीपी/एसटीपी/डब्ल्यूआरपी की स्थापना, अपशिष्ट कंपोस्टिंग प्लांट की व्यवस्था, सामग्री वसूली सुविधाएं, सफाई की मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरों का उपयोग, अपशिष्ट की अनधिकृत डंपिंग को रोकने के क्रम में शहरी स्थानीय निकायों के साथ समन्वय जा सके, के संबंध में की गई प्रगति की स्थिति की कमी थी जैसा कि नीचे **तालिका 2.3** में सामने लाया गया था:-

---

[18] *01 स्टेशन अर्थात् पमरे-सवाई माधोपुर सितंबर 2021 में प्राप्त किया गया*

[19] *इसे 31 मार्च 2021 तक उद्धृत NGT के आदेश के अनुसार पूरा किया जाना आवश्यक था और लेखा परीक्षा में इस स्थिति को 31 जुलाई 2021 तक सत्यापित और अद्यतिन किया गया था।*

[20] *अगस्त 2021 में 02 स्टेशनों अर्थात् दपूरे-शालीमार और खड़गपुर में प्राप्त किया गया था।*

तालिका 2.3 - 24 सत्यापनीय संकेतकों को लागू करने के लिए एन जीटी के आदेशों का अनुपालन

क्र सं.	गतिविधि	कार्यान्वयन/अनुपालन की स्थिति (31 मार्च 2020 तक)
1	ईटीपी/एसटीपी/ डब्ल्यूआरपी	पांच स्टेशनों[21] में योजना नहीं बनाई गई अन्य पांच स्टेशनों[22] में हालांकि योजना बनाई गई लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया
2	अपशिष्ट खाद संयंत्र और सामग्री वसूली सुविधाएं	क्रमशः 14 स्टेशनों[23] पर और 16 स्टेशनों[24] पर उपलब्ध नहीं कराया गया
3	साफ-सफाई गतिविधि की मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरों का उपयोग किया जाएगा	मुख्य रूप से सुरक्षा उद्देश्य के साथ-साथ स्वच्छता की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है
4	आई एस ओ प्रमाणन, जल लेखापरीक्षा और ऊर्जा लेखापरीक्षा	सभी 37 चिन्हित स्टेशनों में पूरा किया गया
5	रेलवे भूमि पर अतिक्रमण, रेलवे परिसर में अवैध डंपिंग और रेलवे की भूमि पर अनधिकृत डंपिंग रोकने के लिए चारदीवारी	पांच स्टेशनों[25] पर अतिक्रमण मिला चार स्टेशनों [26] पर रेलवे परिसर में अवैध डंपिंग देखी गई 07 स्टेशनों[27] पर निर्मित चारदीवारी नहीं मिली
6	आवधिक रिपोर्ट	05 स्टेशनों[28] पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में अनुपालन नहीं किया गया

कुछ स्टेशनों जैसे पुणे (मरे), सियालदह (पूरे), राजेंद्र नगर टर्मिनल (पूमरे), विशाखापत्तनम (पूतरे), नई दिल्ली (उरे), कटिहार (उसीरे), जयपुर और जोधपुर (उमरे) सिकंदराबाद, काचीगुडा और विजयवाड़ा (दमरे), रांची और दीघा (द्पूरे), बिलासपुर (दपमरे), हुबली और मैसूर (दपरे), जबलपुर और भोपाल (पमरे) और वडोदरा (परे) के संबंध में कार्य योजना का कार्यान्वयन संतोषजनक था, जहाँ 24 में

---

21 पूमरे-धनबाद, उपूरे- लखनऊ जं. और मंडुआडीह, दरे- एमजीआर चेन्नई सेंट्रल और तिरुवनंतपुरम सेंट्रल

22 पूतरे- विजयनगरम, पूरे- हावड़ा, उमरे- झांसी, परे- मुंबई सेंट्रल और वडोदरा,

23 मरे- नासिक रोड, उरे- वाराणसी और श्री माता वैष्णो देवी कटरा, उमरे-झांसी, प्रयागराज और आगरा कैंट, उपरे-अजमेर, दरे-तिरूवनंतपूरम सेंट्रल एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, तिरुचिरापल्ली जं., दमरे-सिकंदराबाद और विजयवाड़ा, दपूमरे-बिलासपुर पमरे-जबलपुर

24 मरे- नासिक रोड, पूमरे- धनबाद पूरे- हावड़ा और सियालदह, उमरे- झांसी, आगरा कैंट और प्रयागराज, पूसीरे- गुवाहाटी और कटिहार, उपूरे-मंडुआडीह, उपरे- अजमेर, दपूमरे- बिलासपुर और रायपुर, दपूरे- दीघा, दपरे- हुबली, पमरे- जबलपुर

25 पूरे-सियालदह, दपूमरे-रायपुर, दपरे-हुबली, पमरे-जबलपुर और भोपाल

26 पूतरे-विजयनगरम, उमरे-आगरा कैंट, दपूरे-रांची, दपूमरे-रायपुर

27 पूरे-डावड़ा, उरे- दिल्ली, फिरोजपुर, उमरे-आगरा कैंट, उपरे-अजमेर, दपूमरे-रायपुर, पमरे-भोपाल

28 पूरे- हावड़ा और सियालदह, उमरे- झांसी, प्रयागराज और आगरा कैंट

से 20 या अधिक सत्यापन योग्य संकेतक लागू किए गए। हालांकि, यह देखा गया कि 31 मार्च 2020 तक 37 स्टेशनों में से एक स्टेशन के संबंध में भी 24 सत्यापन योग्य संकेतकों का कार्यान्वयन पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया था।

रेल मंत्रालय ने उत्तर में कहा (मई 2022) कि वर्ष 2022-23 के लिए ईटीपी/एसटीपी/डब्ल्यूआरपी की स्थापना जिसके लिए बड़े बुनियादी ढांचे के इनपुट की आवश्यकता होती है, को स्वीकृत किया गया है। रेल मंत्रालय ने आगे कहा कि गीले कचरे की कम मात्रा वाले स्टेशनों पर कंपोस्टिंग प्लांट की आवश्यकता नहीं है।

रेल मंत्रालय का उत्तर उपरोक्त लेखापरीक्षा अवलोकन में शामिल स्टेशनों के लिए विशिष्ट नहीं है। इसके अलावा, तथ्य यह है कि 37 स्टेशनों में से एक स्टेशन के संबंध में भी 24 सत्यापन योग्य संकेतकों का कार्यान्वयन पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया था।

2.6 37 स्टेशनों (720 स्टेशनों का शेष) के अलावा अन्य पर सत्यापनीय संकेतकों सहित कार्य योजना

शेष प्रमुख स्टेशनों (720 स्टेशनों का शेष) में 24 चिन्हित सत्यापनीय संकेतकों के संबंध में कार्य योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का निर्धारण भारतीय रेल के सभी जोनो में चयनित 65 स्टेशनों **(अनुलग्नक 2.5)** में किया गया था जिससे निम्नलिखित का पता चला:-

i. 41 स्टेशनों में ईटीपी/एसटीपी/डब्ल्यूआरपी भी स्थापित नहीं किए गए,
ii. अपशिष्ट खाद्य संयत्र और सामग्री रिकवरी सुविधाएं क्रमश 43 और 46 स्टेशनों में उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।
iii. 28 स्टेशनों पर सफाई गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरों का उपयोग नहीं किया गया।
iv. 28 स्टेशनों पर अरबन लोकल बॉडी/लोकल बॉडी के साथ समन्वय न होना और 30 स्टेशनों पर परिसंचारी क्षेत्र में कोई शौचालय नहीं होना।
v. 07 स्टेशनों[29] पर जल लेखापरीक्षा नहीं की गई और 11 स्टेशनों[30] पर उर्जा लेखापरीक्षा नहीं की गई।
vi. 10 स्टेशनों[31] को छोड़कर सभी स्टेशनों द्वारा आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

---

[29] मरे- वाडी, पूतरे - कटक, उपूरे - काठगोदाम, हल्द्वानी, बरेली सिटी, उपरे- गांधी नगर जयपुर, परे- भरूच

[30] मरे- वाड़ी, पूतरे - कटक, उपूरे- काठगोदाम, हल्द्वानी और बरेली सिटी, पूसीरे- न्यू बोंगईगांव और न्यू जलपाईगुड़ी, परे- बांद्रा टर्मिनस, मेट्रो रेल- दमदम, एस्प्लेनेड और रवीन्द्र सदन

[31] उरे- बाराबंकी, पानीपत, रायबरेली और रोहतक, उमरे- प्रयागराज छेकी, पमरे- कटनी और पिपरिया, मेट्रो रेल-दमदम, एस्प्लेनेड और रवीन्द्र सदन

इससे इंगित होता है कि ज्यादा ज़ोर दिये गए 24 सत्यापनीय संकेतकों के कार्यान्वयन की दिशा में रेलवे प्रशासन का ढुलमुल दृष्टिकोण था। अत:, एन जी टी के आदेशों का उल्लंघन हुआ है

रेल मंत्रालय ने अपने उत्तर में (मई 2022) कहा कि 24 सत्यापन योग्य संकेतकों के कार्यान्वयन का अनुपालन किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा टिप्पणी विशिष्ट आवश्यकता का अनुपालन नहीं करने वाले स्टेशनों के संबंध में थी। इस पहलू पर मंत्रालय मौन है।

2.7 स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्रवाई योग्य मद/बिंदु पर प्रगति

स्वच्छ भारत' मिशन के हिस्सेदार के रूप में, रेलवे बोर्ड ने स्टेशन परिसरों में सफाई में सुधार के लिए कार्रवाई योग्य बिंदु तैयार किए और जुलाई 2016 और सितंबर 2016 में निर्देश जारी किए। जोनल रेलवे को इन बिंदुओं को सभी प्रमुख ए 1 और ए श्रेणी के स्टेशनों पर प्रसारित करने के लिए कहा गया था ताकि जहां भी आवश्यकता हो सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई की जा सके और स्वच्छता मानकों में सुधार के लिए मॉनिटरिंग के लिए प्रणालियां स्थापित की जा सकें। इन कार्रवाई योग्य बिंदुओं में अन्य बातों के साथ साथ निहित है,

(i) कचरा उठाने की जगह से ही उठाना और सुविधापूर्वक कचरा संग्रहण करने वाले जैसे हैडल वाले डस्टपैन का उपयोग करके फिर कचरा डिब्बे के अंदर डालना जिससे नालियों में ठोस कचरे के बहने से बचा जा सके।

(ii) सीसीटीवी के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की मॉनिटरिंग और सफाई कर्मचारियों के लिए विशिष्ट बीट्स निर्धारित करना।

(iii) निर्धारित बीट्स को हमेशा कचरा मुक्त रखने के लिए सफाई कर्मचारियों को की पहचान करना।

(iv) यात्री आवाजाही के सभी क्षेत्रों में 10 मीटर के भीतर गैर जैव-निम्नीकरण अपशिष्ट (सुखा अपशिष्ट) के लिए काले पॉलीथिन बैग और जैव-निम्नीकरण अपशिष्ट (गीला कचरा) के लिए हरे रंग के साथ विभिन्न रंग के कूड़ेदान की व्यवस्था।

(v) वाहन पार्किंग क्षेत्र में कूड़ेदान और उचित कूड़ा निपटान की व्यवस्था।

(vi) ट्रैक और किनारों पर वस्तुओं और कचरे के गिरने से रोकने के लिए पूरी लंबाई में तार जाल से ढके फुट ओवर ब्रिज

इन महत्वपूर्ण कार्रवाई योग्य बिंदुओं का निर्धारण चयनित 109 स्टेशनों और 30 कोचिंग डिपो की लेखापरीक्षा में किया गया था और देखी गई कमियों को नीचे **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4 - स्वच्छ भारत मिशन पर कार्रवाई योग्य बिंदुओं पर कार्यान्वयन की स्थिति

क्र सं.	कार्रवाई योग्य बिंदु	कार्यान्वयन की स्थिति
1	कूड़ेदान की व्यवस्था	i. गीले और सूखे अपशिष्ट के संग्रहण के लिए 12 स्टेशनों और 15 कोचिंग डिपो में अलग-अलग रंग के साइनेज डस्टबिन अंदर पॉलीथिन लाइनर बैग के साथ उपलब्ध नहीं कराए गए। हालांकि, 97 स्टेशनों (89 प्रतिशत) मे विभिन्न रंग के कूड़ेदान की व्यवस्था थी। ii. 27 स्टेशनों पर, उपलब्ध कराए गए कूड़ेदान यात्री आवाजाही क्षेत्रों में किसी भी स्थान से 10 मीटर के भीतर नहीं रखे गए थे। iii. 17 स्टेशनों पर प्रतीक्षालय और शौचालयों में ढ़के हुए कूडेदान उपलब्ध नहीं कराए गए थे; iv. 38 स्टेशनों पर वाहन पार्किंग क्षेत्र में कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं पाई गई।
2	सफाई कर्मचारियों की मॉनिटरिंग	i. 42 स्टेशनों में स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर लगे सीसीटीवी कैमरे का उपयोग अपने कार्य क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों की उपलब्धता की मॉनिटरिंग के लिए उपयोग में नहीं पाया गया। ii. 16 स्टेशनों पर सफाई कर्मचारियों के लिए बीट्स निर्धारित नहीं की गई थी।
3	सफाई संविदाओं में सफाई पहलू को शामिल करना	(i) 53 स्टेशनों और 18 कोचिंग डिपो के संबंध में सफाई संविदाओं में अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए विशिष्ट खंड नहीं थे। 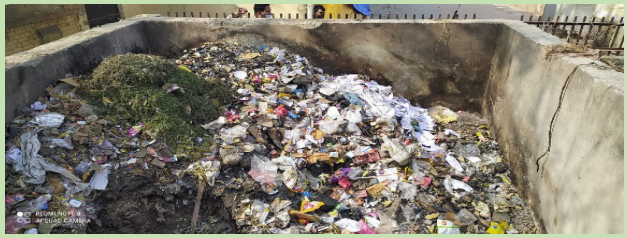 उरे के लखनऊ मंडल के आरबीएल स्टेशन पर अलग पृथक्करण न किया गया अपशिष्ट

		(ii) 7 स्टेशनों पर कचरा उत्पन्न होने वाली जगह से नहीं उठाया गया था। **MAS पर अपशिष्ट से भरे कूड़ेदान**
4	तार युक्त जाल के साथ एफओबी को कवर करना	उपरि तारों और ट्रैक पर कचरे को गिरने से रोकने के लिए 28 स्टेशनों पर तार जाल के साथ एफओबी को कवर नहीं किया गया था

"स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत" अभियान पर स्टेशनों की प्रगति की निगरानी की दिशा में निरंतर प्रयासों में, रेल मंत्रालय ने 720 स्टेशनों की रैंकिंग और सर्वेक्षण के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (2019) को लगाया। "साइट पर कोई कूड़ा-करकट नहीं, साइट में कूड़ेदान और दो कूड़ेदान जैसे पहलुओं पर प्रगति का परिणाम नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4 ए - स्टेशनों पर स्वच्छता के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए क्यूसीआई द्वारा किए गए ई-सर्वेक्षण के परिणाम के अंश

(आंकड़े प्रतिशत में)

विवरण	**साइट पर कोई कूड़ा-करकट नहीं**	**साइट में कूड़ेदान**	**दो कूड़ेदान**
पार्किंग क्षेत्र	73.98	64.6	73.77
मुख्य प्रवेश	85.97	84.72	62.30
टिकट काउंटर	92.22	78.75	67.02
इंतज़ार क्षेत्र	94.03	84.18	61.17
एफओबी और सीढ़ियाँ	93.56	63.01	76.40
खुले बैठने की जगह	90.93	87.76	72.68
विक्रेता क्षेत्र	91.68	96.13	65.60

यह देखा जा सकता है कि रेलवे बोर्ड द्वारा 2016 में स्टेशन परिसर की सफाई के लिए कार्रवाई योग्य बिंदुओं के कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, कई स्टेशनों (720 में से) ने अभी तक कार्य योजना का कार्यान्वयन पूरा नहीं किया है.

2.8 कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पहल के माध्यम से रेलवे कार्यों के निष्पादन के लिए किए गए प्रयास

रेलवे स्टेशनों को स्वच्छ रखने मे रेलवे के प्रयासों को पूरा करने के लिए, रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे को निर्देश दिया[32] (फरवरी 2016) कि वह कारपोरेट और पी एस यू के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत चिन्हित रेलवे कार्यों को निष्पादित करने के लिए विशेष रूप से अपने कारोबार/प्रभाव क्षेत्र में आने वाले स्टेशनों पर कार्यों को प्रायोजित करने को प्रोत्साहित करे। इन कार्यों में स्टेशनों पर कूड़ेदान, अपशिष्ट परिवहन ट्रॉलियों, सफाई मशीनों, सीवेज/बहाव वाले उपचार संयंत्र, अपशिष्ट से खाद, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र आदि की व्यवस्था शामिल थी। कारपोरेट और पीएसयू की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ सी एस आर पहल के तहत ये प्रावधान पर्यावरणीय स्थिरता कार्यों के निष्पादन, सफाई कार्यों, स्टेशनों की स्वच्छता और कुछ यात्री सुविधाओं के प्रावधान थे।

जोनल रेलवे/डिवीजन के इएनएचएम विंग को सी एस आर गतिविधि के ऐसे प्रायोजन का समन्वय करना था और सी एस आर पहल के माध्यम से निर्मित सुविधाओं का एक उपयुक्त डाटाबेस रेल प्रशासन द्वारा बनाया जाना था।

सी एस आर पहल के तहत किए गए उपायों को बहुत सीमित सफलता मिली। सी एस आर पहलों के माध्यम से स्टेशनों पर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रदान की गई सुविधाओं की समीक्षा सभी जोनल रेलवे में की गई थी और इसका परिणाम नीचे **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है:-

तालिका 2.5 - सीएसआर पहल के तहत प्रतिक्रिया

क्र सं.	प्रदान की गई कार्य/मद	संख्या	डिवीज़न	जोन	लागत (₹ करोड़ में)
1	कूड़ेदान	1906	सी एस एम टी, दिल्ली, आगरा, मुंबई सेंट्रल, वडोदरा और वाल्टेयर	मरे, उरे, उमरे, परे, पूतरे	0.86
2	खाद संयंत्र के लिए अपशिष्ट	10	सियालदह, बीकानेर, सिकंदराबाद, मुंबई सेंट्रल, और वाल्टेयर	पूरे, उपरे, दमरे, परे, पूतरे	0.75
3	ट्रॉली	10	बिलासपुर	दपूमरे	0.05
4	ऊर्जा संयंत्र के लिए अपशिष्ट	1	जयपुर	उपरे	0.91

[32] *पत्र संख्या 2015/ईएनएचएम /06/06 दिनांक 03.02.2016*

2.9 स्टेशनों पर खानपान इकाइयों द्वारा और ओबीएचएस के तहत आने वाली ट्रेनों से उत्पन्न अपशिष्ट का संग्रहण और पृथक्करण

परिचालित पैंट्री कारों और स्थिर इकाइयों से उत्पन्न अपशिष्ट और उनके निपटान के लिए 2016 के रेलवे बोर्ड द्वारा प्रसारित किए गए वाणिज्यिक आदेश परिपत्र संख्या 55 के तहत खानपान संविदाकार के साथ लाइसेंस करार में दो रंग के कुडेदानो[33] में अपशिष्ट के संग्रहण का प्रावधान निर्धारित किया गया था। 1999 के रेलवे बोर्ड के वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 14 और 2011 के वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 45 के माध्यम से प्रसारित दिशा-निर्देशों में प्लेटफार्मों पर पेंट्रीकार अपशिष्ट के संग्रहण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए स्थानीय संयुक्त प्रक्रिया आदेश (जेपीओ) होने के निर्देश शामिल थे। चलती ट्रेनों में सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देने के लिए रेलवे ने ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सेवाएं (ओ बी एच एस) योजना को अपनाया था जिसके तहत आउटसोर्स एजेंसियों की नियुक्ति करके कोचों और शौचालयों की सफाई और कीटाणुशोधन सुनिश्चित किया जाना था। रेलवे बोर्ड द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों (17 फरवरी 2016) में संविदाकार द्वारा पॉलीबैग/इको-फ्रेंडली बैग में कुडेदानों से कचरे/कूड़े का संग्रहण सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है।

सभी जोनल रेलवे में 109 चयनित स्टेशनों में की गई समीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:-

i. खानपान संविदाकार के साथ लाइसेंस करार में निर्धारित दो रंग के डिब्बे में अपशिष्ट के संग्रहण का प्रावधान 39 स्टेशनों में शामिल नहीं किया गया था जिससे अपशिष्ट का अलग-अलग संग्रहण नहीं हुआ।

ii. 58 स्टेशनों के संबंध में संविदाकारों द्वारा ओबीएचएस ट्रेनों से कचरा युक्त पॉलीबैग का संग्रहण सुनिश्चित नहीं किया गया।

iii. लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण से पता चला कि पेंट्रीकार और ओबीएचएस ट्रेनों से संग्रहित पृथक अपशिष्ट को 49 स्टेशन में सुरक्षित बैग में नहीं उतारा गया। उपरोक्त 49 स्टेशनो मे से 42 स्टेशनों पर पेंट्रीकारों या ओबीएचएस ट्रेनों से संग्रहित पृथक अपशिष्ट को अलग से सौंपे गए कूड़ेदानों में नहीं डाला गया।

iv. पेंट्रीकार से अपशिष्ट के संग्रहण की प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए 70 स्टेशनों पर जे पी ओ जारी नहीं किए गए थे।

---

[33] *खानपान इकाइयों में जैव-निम्नीकरण कचरे/गीले कचरे के लिए हरा और गैर जैव-निम्नीकरण कचरे/सूखे कचरे के लिए काला*

स्टेशनों पर और इन ओबीएचएस ट्रेनों से खानपान इकाइयों के अपशिष्ट के संग्रहण और निपटान के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के अननुपालन से इन स्टेशनों पर स्वच्छता के संबंध में प्रतिकूल परिणाम हुए थे।

2.10 स्टेशनों पर प्लास्टिक अपशिष्ट का निर्धारण और संग्रह/पृथक्करण

रेल परिचालन, ठोस और प्लास्टिक अपशिष्ट दोनों-विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट की विशाल मात्रा उत्पन्न करता है। लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी 83वीं रिपोर्ट (2008-09) में यह देखा था कि प्लास्टिक का उपयोग करते समय रेल मंत्रालय को पर्यावरणीय चिंता को ध्यान में रखना चाहिए और लागू नियमों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने तीन रेलवे स्टेशनों (नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन) पर उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट के संबंध में RITES के माध्यम से एक अध्ययन प्रायोजित किया। रिपोर्ट (दिसंबर 2009) में दर्शाया गया कि इन स्टेशनों द्वारा प्रतिदिन लगभग 6758 किलोग्राम प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न किया जा रहा था और इन स्टेशनों पर उत्पन्न होने वाले निम्नीकरण और गैर-जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को अलग करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के संदर्भ में, भारतीय रेल को 'अपशिष्ट उत्पनकर्ता'[34] के रूप में पहचाना गया था।

रेलवे बोर्ड (अक्टूबर 2016) ने जोनल रेलवे को निम्नलिखित निर्देश[35] जारी किए:-

- कम से कम प्लास्टिक का उपयोग
- प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और निपटान सहित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को उचित तरीके से स्थापित करें और
- सभी सफाई संविदाओं में पर्यावरण के अनुकूल तरीके से ऐसे अपशिष्ट के निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करें

प्लास्टिक अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन के लिए रेलवे प्राधिकरण पर यह जरूरी है कि वह स्टेशनों पर प्लास्टिक अपशिष्ट के अलग-अलग संग्रहण और पृथक्करण के लिए निर्धारण करें और कदम उठाए।

---

[34] *नियम 3 (x) इन नियमों में आगे इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता (क) प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पन्न होने को कम करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2000 या समय-समय पर संशोधित के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट को अलग करने के लिए कदम उठाएगा और (ख) प्लास्टिक अपशिष्ट को कूड़े में नहीं डालेगा और स्रोत पर अपशिष्ट का अलग भंडारण सुनिश्चित करेगा और शहरी स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत या उनके द्वारा नियुक्त एजेंसियों या पंजीकृत अपशिष्ट बीनने वालों, पंजीकृत रीसाइक्लर या अपशिष्ट संग्रह एजेंसियां को पृथक अपशिष्ट सौंपा जाएगा।*

[35] *पत्र संख्या 2016/पर्यावरण/01/01 दिनांक 17.10.2016*

109 स्टेशनों और 30 कोचिंग डिपो पर किए गए लेखापरीक्षा अध्ययन से पता चला है कि भारतीय रेल द्वारा 71 स्टेशनों और 26 कोचिंग डिपो में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया था **(अनुलग्नक 2.6)**।

रेलवे बोर्ड (अगस्त 2019) ने सभी जोनल रेलवे को 02.10.2019 से प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर विस्तृत उपाय लागू करने का निर्देश[36] दिया जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल थे:-

i) एकल उपयोग प्लास्टिक सामग्री पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करें।

ii) सभी रेलवे विक्रेता को प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल से बचने के लिए प्रोत्साहित करें।

iii) कर्मचारियों को प्लास्टिक उत्पादों को कम करने, पुन: उपयोग और प्रतिषेध करने के लिए और प्लास्टिक फुट प्रिन्ट को कम करने के लिए सस्ती पुन: प्रयोज्य बैग का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।

iv) IRCTC विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी के भाग के रूप में पीने के पानी की प्लास्टिक बोतलों की वापसी को लागू करें।

v) प्लास्टिक बोतल कुचलने की मशीनें शीघ्र उपलब्ध कराई जाएं।

इन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 अनुपालन और रेलवे बोर्ड के निर्देशों की लेखापरीक्षा में भी जांच की गई और उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आधार पर यह देखा गया कि निम्नलिखित उपायों को कुछ हद तक लागू किया गया था:-

- प्लास्टिक की बोतल कुचलने की मशीनों की योजना और स्थापना
- केवल प्लास्टिक वाले कुडेदान की व्यवस्था

उपरोक्त उपायों पर प्रगति नीचे दर्शाई गई है:-

i. NGT के आदेशों के अनुपालन में सभी 37 प्रमुख स्टेशनों (लेखापरीक्षा के लिए चयनित 109 स्टेशनों में शामिल) पर पीबीसीएम की स्थापना की योजना बनाई गई थी। यह भी 24 संकेतकों (पैरा 2.5 में संदर्भित) में से एक महत्वपूर्ण सत्यापन योग्य संकेतकों में से एक था, जो शुरू में 37 चिन्हित प्रमुख स्टेशनों के लिए

15.02.2021 को पेट में बांद्रा टर्मिनस *स्टेशन में प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीन को बंद पाया गया।*

[36] *पत्र संख्या. 2019/ईएनएचएम /11/01 दिनांक 19.08.2019*

लागू था। 14 स्टेशनों पर, स्थापित पीबीसीएम योजना से कम थे। **(अनुलग्नक 2.6)** लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 109 स्टेशनों में से 11 स्टेशनों[37] में पीबीसीएम की योजना भी नहीं बनाई गई थी और 14 स्टेशनों[38] में हालांकि इनकी योजना बनाई गई थी लेकिन 31 मार्च 2020 तक एक भी पीबीसीएम स्थापित नहीं किया गया था।

ii. रेलवे अधिकारियों के साथ किए गए संयुक्त निरीक्षण के दौरान 15 स्टेशनों[39] पर स्थापित पीबीसीएम काम नहीं कर रहे थे। इनमें NGT द्वारा चिन्हित 37 प्रमुख स्टेशनों में से दो स्टेशन (हुबली और दीघा) शामिल थे।

iii. प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण के उपाय के रूप में 'केवल प्लास्टिक के डिब्बे' के प्रावधान के संबंध में, समीक्षा से पता चला कि 90 स्टेशनों और 25 कोचिंग डिपो **(अनुलग्नक 2.6)** में ऐसी कोई सुविधा मौजूद नहीं थी।

iv. प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने और स्रोत पर उसे अलग करने के लिए उठाए गए कदमों के मुद्दे पर, लेखापरीक्षा ने देखा कि 84 स्टेशनों और 26 कोचिंग डिपो के संबंध में सफाई अनुबंधों में प्रासंगिक खंड शामिल नहीं किया गया था।

v. पीबीसीएम से उत्पन्न प्लास्टिक कचरे के अंतिम उपयोग से संबंधित रिकॉर्ड जो परिचालन में थे, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

रेल मंत्रालय ने कहा कि 720 प्रमुख स्टेशनों में से 441 पर 639 पीबीसीएम स्थापित किए गए हैं। 'केवल प्लास्टिक के डिब्बे' के प्रावधान के संबंध में रेल मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरे के बेहतर प्रबंधन का आश्वासन दिया है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह सामान्य प्रकृति का है और टिप्पणी किए गए स्टेशनों पर पीबीसीएम की योजना/स्थापना की स्थिति उत्तर में नहीं बताई गई है।

2.11 नगर निगम ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण और अलग संचय

भारत सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2000/ 2016 में अधिसूचित किया है। नियम 4 (1) के अनुसार, रेलवे को यह करना आवश्यक है:-

- उपयुक्त कुडादान में जैव निम्नीकरण, गैर-जैव निम्नीकरण और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट जैसे तीन अलग-अलग वर्गों में उत्पन्न अपशिष्ट को अलग करें और स्टोर करें;

---

[37] *मरे-इगतपुरी, उरे-बाराबंकी, रोहतक; उमरे-प्रयागराज छिवकी; उपूरे-गोरखपुर, छपरा, हल्द्वानी; उसीरे- होजई, न्यू जलपाईगुड़ी: पमरे- राय का बाग; दरे- मेलमरुवत्तूर।*

[38] *उरे- पानीपत, राजपुरा जंक्शन, जालंधर कैंट; उमरे- आगरा का किला; उपरे- बीकानेर, लालगढ़; दरे- ओट्टपल्लम;द्परे - येलहंका, पांडवपुरा,; पमरे- होशंगाबाद, पिपरिया, कटनी; परे- वलसाड, बिलिमोरा जं*

[39] *मरे-पनवेल, वाडी, उरे-मुरादाबाद उपरे- जयपुर, दमरे- सिकंदराबाद, काचीगुडा, पूमरे-बिलासपुर, रायगढ़, द्पूरे- दीघा, दरे- एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, द्परे- केएसआर बेंगलुरु, कृष्णराजनपुरम, हुबली, पमरे- सवाई माधोपुर, परे- बांद्रा टर्मिनस*

- स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देश या अधिसूचना के अनुसार प्राधिकृत अपशिष्ट बीनने वालों या अपशिष्ट संग्रहणकर्ताओं को अलग-अलग अपशिष्ट को सौंपना।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने 18-3-2015 के अपने आदेश में निर्देश दिया था कि सभी रेलवे प्लेटफार्मों को साफ रखा जाए और किसी भी शहरी ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) से मुक्त रखा जाना चाहिए। प्लेटफार्मों से एमएसडब्ल्यू को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियमावली 2000 के अनुसार केवल नामित एमएसडब्ल्यू निपटान स्थल पर एकत्र किया जाना चाहिए और उनका निपटान किया जाना चाहिए और किसी अन्य स्थान पर नहीं। इस प्रकार रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे को NGT के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करने और इसके लिए आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रखना सुनिश्चित करने का निर्देश[40] दिया (अप्रैल 2015)।

ठोस अपशिष्ट प्रंधन (एसडब्ल्यूएम) नियमावली, 2016 के अनुसार कोई अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता उसके द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट को, सड़कों पर, अपने परिसर के बाहर खुले सार्वजनिक स्थानों या नाली में या जल निकायों में न तो फेकेगा, न ही जलाएगा या दबाएगा नहीं। इन नियमों के अनुपालन में रेलवे बोर्ड ने दिनांक 05 सितंबर 2016 के पत्र के माध्यम से जोनल रेलवे को निर्देश दिए कि स्टेशन पर संग्रहित अपशिष्ट को अलग-अलग रंग के चिन्हित कूड़ेदानों में स्रोत पर अलग-अलग किया जाए और इन अपशिष्टों को आगे अलग-अलग रखा जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड (09 दिसम्बर 2016) ने जोनल रेलवे को स्टेशन से ठोस कचरे के निपटान के लिए स्थानीय निकायों के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने और उसी के संबंध में रिकॉर्ड बनाए रखने का भी निर्देश दिया।

एसडब्ल्यूएम नियमावली 2016 में निर्धारित नियमों का अनुपालन और रेलवे बोर्ड के निर्देश (सितंबर 2016) का सभी चयनित 109 स्टेशनों और 30 कोचिंग डिपो में निर्धारण किया गया था और निम्नलिखित को पाया गया था:-

i. एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में 41 स्टेशनों और तीन कोचिंग डिपो पर शहरी ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के संचालन के समर्थन में आवश्यक रिकॉर्ड नहीं बनाए गए थे। ऐसे रिकॉर्ड के अभाव में यह पता नहीं लगाया जा सका कि NGT के आदेशों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

ii. संग्रहित अपशिष्ट को 16 स्टेशनों और 21 कोचिंग डिपो में अलग-अलग रंग चिन्हित कूड़ेदानों में स्रोत पर अलग नहीं किया जा रहा था।

---

[40] *पत्र संख्या 2015/पर्यावरण//01/03 दिनांक 30.04.2015*

iii. 22 स्टेशनों और 10 कोचिंग डिपो में अंतिम निपटान से पहले अलग किए गए अपशिष्ट के संग्रहण के लिए कोई भंडारण स्थल/वेट्स[41] की पहचान नहीं की गई थी।

iv. 47 स्टेशनों और 17 कोचिंग डिपो में बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का संचय अलग से नहीं किया गया।

भारतीय रेल परंपरागत रूप से अपने कचरे को निकालने के लिए नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली पर निर्भर है। इसके अलावा, नगरपालिका अधिकारियों द्वारा अंतिम निपटान से पहले अलग किए गए कचरे के भंडारण के लिए भंडारण स्थलों / वेट्स की अनुपस्थिति में, कचरे को जलाकर, बगल की नहरों, निचले इलाकों और ट्रैक के पास डंप करके, पर्यावरण प्रदूषण का कारण होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

रेल मंत्रालय ने कहा (मई 2022) कि ठोस कचरे को सूखे और गीले कचरे के रूप में अलग-अलग कूड़ेदानों में एकत्र किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा कि सभी प्रमुख स्टेशनों पर जुड़वां डिब्बे उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इसने विशिष्ट लेखापरीक्षा आपत्तियों को संबोधित नहीं किया।

2.11.1 ठोस अपशिष्ट का परिवहन और निपटान

लेखापरीक्षा ने एकत्रित ठोस अपशिष्ट के निपटान के संबंध में एनजीटी के आदेश (जैसा कि पैरा 2.11 में उल्लिखित है) के परिणामस्वरूप रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की और निम्नलिखित बिंदु सामने आए:

i. 14 स्टेशनों और सात कोचिंग डिपो में अंतिम निपटान स्थल पर ठोस अपशिष्ट का निपटान नहीं किया गया;

ii. पृथक अपशिष्ट को 15 स्टेशनों और पांच कोचिंग डिपो में ढकी हुई स्थिति में नहीं ले जाया गया;

iii. रेल प्रशासन ने 97 स्टेशनों और 28 कोचिंग डिपो में ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए यूएलबी/स्थानीय निकायों के साथ एमओयू नहीं किया।

iv. 65 स्टेशनों और 22 कोचिंग डिपो पर NGT/आरबी निर्देशों के अनुसार अपशिष्ट के भंडारण और निपटान के लिए कोई अभिलेख नहीं रखा गया।

[41] वैट कचरा डालने के लिए कंटेनर है

v. 50 स्टेशनों और 13 कोचिंग डिपो में मौजूदा निर्देशों में परिकल्पित व्यवस्था के अनुसार पृथक किए गए अपशिष्ट को प्राधिकृत अपशिष्ट चुननेवाले या अपशिष्ट संग्रहणकर्ता को सौंपने की व्यवस्था नहीं पाई गई।

(अनुलग्नक 2.7)

रेल मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (मई 2022) कि सभी प्रमुख 720 स्टेशनों पर सफाई के ठेके दिए जा चुके हैं और ठोस अपशिष्ट को निपटान के लिए संबंधित नगर निकायों को सौंप दिया गया है। उत्तर, हालांकि, रिपोर्ट में टिप्पणी की गई ठोस कचरे के भंडारण और परिवहन से संबंधित मुद्दों पर मौन है।

2.11.2 ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए सुविधाएं

37 चिह्नित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कार्य योजना को, रेलवे बोर्ड (अप्रैल 2019) द्वारा जारी NGT के उन निर्देशों (मार्च 2019) को 720 स्टेशनों में लागू किया जाना है, जिसमें कंपोस्टिंग संयंत्र के प्रावधान जैसे अपशिष्ट के भंडारण और निपटान, सामग्री रिकवरी सुविधा और पृथक अपशिष्ट परिवहन से संबंधित मुद्दे शामिल थे।

सभी चयनित 109 रेलवे स्टेशनों तथा 30 कोचिंग डिपो में NGT के दिनांक 26.03.2019 के आदेश के अनुपालन में उपरोक्त नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रास्थिति की समीक्षा की गई **(अनुलग्नक 2.8)** और लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:-

i. 77 स्टेशनों तथा 29 कोचिंग डिपो में गीले अपशिष्ट की प्रसंस्करण सुविधा की व्यवस्था नहीं की गयी।

ii. 87 स्टेशनों और 27 कोचिंग डिपो पर सामग्री रिकवरी की सुविधा नहीं दी गई।

iii. 77 स्टेशनों तथा 28 कोचिंग डिपो पर कंपोस्टिंग संयत्र नहीं लगाया गया।

iv. 102 स्टेशनों तथा 29 कोचिंग डिपो परअपशिष्ट पुनर्चक्रण केंद्र नहीं स्थापित किए गए।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयत्र स्थापित करने के लिए आठ स्टेशनों[42] की पहचान[43] की गई थी। इन संयंत्रों के लिए बोली प्रक्रिया प्रबंधन और परियोजना प्रबंधन के लिए राइट्स को लगाया गया था। चिह्नित आठ स्टेशनों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयत्र की स्थापना के क्रियान्वयन की समीक्षा से पता चला कि 7 स्टेशनों (पटना स्टेशन को छोड़कर) पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयत्र स्थापित नहीं किया गया था।

---

[42] *छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, पटना, सियालदाह, हावड़ा, प्रयागराज, वाराणसी, सिकंदराबाद और एमजीआर चेन्नई सेंट्रल*

[43] *भारतीय रेल की पर्यावरणीय स्थिरता वार्षिक रिपोर्ट 2016-17*

2.12 निष्कर्ष

स्टेशनों और कोचिंग डिपो में उत्पन्न भारी मात्रा अपशिष्ट के निर्धारण, पृथक्करण, भंडारण और इसके निपटान की निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता है। सांविधिक नियम हैं, जिनका अनुपालन किया जाना आवश्यक है। एन जी टी ने कई आदेश जारी कर भारतीय रेल को निर्देश दिए कि वह रेलवे स्टेशनों पर अपशिष्ट प्रबंधन और सफाई से जुड़े मामलों पर कार्रवाई करे।

जोनल और डिवीज़न स्तर पर इएनएचएम निदेशालय की स्थापना के लिए लोक लेखा समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों का आंशिक अनुपालन किया गया। रेलवे स्टेशनों, डिवीज़नो और जोनल स्तर पर नमूना जांच किए गए 38.60 प्रतिशत स्टेशनों में उत्तरदायी इकाइयो का गठन नहीं किया गया। पीएसी की सिफारिशों के बावजूद कई स्टेशनों पर बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल श्रेणियों में उत्पन्न करने की प्रमात्रा का निर्धारण नहीं किया गया। एन जी टी के निर्देशों के बावजूद, बड़ी संख्या में स्टेशनों ने सीटीई/सीएफओ के लिए आवेदन भी नहीं किया था।

एन जी टी के निर्देशानुसार 37 प्रमुख स्टेशनों पर 24 सत्यापनीय संकेतकों के साथ कार्य योजना के कार्यान्वयन की प्रगति कई स्टेशनों पर संतोषजनक नहीं पाई गई। ईटीपी/एसटीपी/डब्ल्यूआरपी, अपशिष्ट से कंपोस्टिंग संयत्र की व्यवस्था मार्च 2020 तक की जानी शेष थी। अपशिष्ट के उचित पृथक्करण और निपटान के लिए एजेंसियों के साथ सफाई संविदाओं में अपेक्षित खंडों को शामिल नहीं किया गया था। CSR के माध्यम से स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों को पूरा करने के प्रयासों को थोड़ी सफलता मिली। पेंट्रीकार अपशिष्ट संग्रहण के लिए संयुक्त प्रक्रिया आदेश तैयार करने के लिए रेलवे बोर्ड के महत्वपूर्ण निर्देशों का कई स्टेशनों पर अनुपालन नहीं किया गया। स्टेशनों पर पीबीसीएम की स्थापना को धीमी प्रतिक्रिया मिली क्योंकि पीबीसीएम की स्थापना (मार्च 2020) योजना से काफी कम थी।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन में बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट और गैर-बायोडिग्रेडेबल श्रेणी में संचित ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण कई स्टेशनों पर नहीं किया गया। इसके अलावा, ऐसे अपशिष्ट के भंडारण और निपटान के लिए अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया और बड़ी संख्या में स्टेशनों में अपशिष्ट के निपटान के लिए यूएलबी/एलबी के साथ एमओयू सुनिश्चित नहीं किए गए। नमूना जांच किए गए स्टेशनों मे ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए आवश्यक अवसंरचना के निर्माण जैसे अपशिष्ट कंपोस्टिंग संयंत्रों, अपशिष्ट पृथक्करण और पुनःचक्रण संयंत्र की दिशा में प्रगति अधिकांश स्टेशनों में खराब थी। पर्यावरण और हाउसकीपिंग कार्यों के प्रबंधन के लिए रेल मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में विभिन्न गतिविधि केंद्रों पर उत्पन्न कचरे

के प्रबंधन की भूमिका और उत्तरदायित्व का निर्धारण स्पष्ट नहीं था। इसके अलावा, विशेष रूप से अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निधि आवंटन निर्धारित नहीं थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार

- जोनल और डिवीजनल स्तर पर इएनएचएम निदेशालय स्थापित करने के लिए लोक लेखा समिति की सिफारिशों का आंशिक रूप से अनुपालन किया गया।
- अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के विशिष्ट संदर्भ में भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए निधियों का सीमांकन भी नहीं किया गया था। एनजीटी के निर्देशों के बावजूद विभिन्न स्तरों पर जवाबदेह संस्थाओं की अनुपस्थिति ने अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रमुख मुद्दों की निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- एनजीटी के आदेश के संदर्भ में सत्यापनीय संकेतक के कार्यान्वयन पर प्रगति उत्साहजनक नहीं थी।
- योजना के अनुसार स्टेशनों पर पीबीसीएम स्थापित नहीं किया गया था और जहां स्थापित भी किया गया था, वहां कार्य नहीं कर रहे थे।
- अपशिष्ट के उचित पृथक्करण और निपटान के लिए एजेंसियों के साथ सफाई संविदाओं में अपेक्षित खंड शामिल नहीं किए गए थे। इसके अलावा, रेलवे के पास ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अवसंरचना का अभाव था।

2.13 सिफारिश

भारतीय रेल को अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए एनजीटी के निर्देशानुसार जोनल और डिवीजन स्तर पर इएनएचएम विंग के गठन और जवाबदेह संस्थाओं के गठन को सक्रिय रूप से सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। आईआर को विशेष रूप से अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए निधि आवंटन और जिम्मेदारियों के लिए स्पष्ट भूमिका परिभाषित करने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा, भारतीय रेल को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्लास्टिक के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।।